वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग – 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

7		परियोजना/स्कीम का स्थान		आवेदक मुख्य कार्यपालन अधिकारी एन.एम. डी.सी.–सी.एम.डी.सी. लिमिटेड जिला–रायपुर (छ.ग.) द्वारा दंतेवाड़ा वनमण्डल, अंतर्गत परिक्षेत्र बचेली के वनभूमि में बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप–04 में खनन करने हेतु प्रस्तावित है।
	1	राज्य/संघ भासित क्षेत्र	:	छत्तीसगढ़
	2	जिला	:	दंतेवाड़ा
	3	वन प्रभाग	:	दंतेवाड़ा वनमण्डल, बचेली वन परिक्षेत्र
	4	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	:	682.2722 हेक्टेयर
	5	वन की कानूनी स्थिति	:	आरक्षित वन/राजस्व वनभूमि
	6	हरियाली का घनत्व	:	0.2 से 0.6 तक
	7	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध मं एफ. आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.–2 मीटर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मीटर भी संलग्न किए जाए।	:	व्यपवर्तन क्षेत्र में 100x100 मीटर का सेम्पल प्लाट डालकर वृक्षों की गणना की गई श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :– 1. Bija (Pterocarpus marsupium) 2. Haldu (Adina cordifolia) 3. Saja (Terminalia tomentosa) 4. Sagon (Tectona grandis) 5. Other spices
	8	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी	:	बैलाडीला पहाड़ियों की तीव्र ढालान के कारण क्षेत्र में कटाव की अत्यधिक संभावना है। क्षेत्र में उपलब्ध दुर्लभ ट्री–फर्न प्रजाति के लिये मृदा एवं जल संरक्षण कार्य महत्वपूर्ण है।
	9	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	:	वन क्षेत्र के अन्तर्गत है।
	10	क्या फार्म – राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हॉ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियॉ अनुबंधित की जाए।	:	नही।
	11	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजाति की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हॉ, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	:	हॉ। खनन क्षेत्र के माइनिंग लीज एरिया में गली नाला स्थित है जो कि प्राकृतिक रूप से बाहर माह पानी रहता है। जिसमें अति महत्वपूर्ण विलुप्तप्राय प्रजाति ट्री–फर्न विद्यमान है।
	12	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हॉ, तो तत्संबंधी प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	:	नही।

8		प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो, जॉचे गये विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	:	आवेदक मुख्य कार्यपालन अधिकारी एन.एम. डी.सी.–सी.एम.डी.सी. लिमिटेड जिला–रायपुर (छ.ग.) द्वारा दंतेवाड़ा वनमण्डल, अंतर्गत परिक्षेत्र बचेली के वनभूमि में बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप –04 में खनन करने हेतु आरक्षित वन भूमि 670.1770 हेक्टेयर एवं राजस्व वन भूमि 12. 0952 कुल रकबा 682.2722 हेक्टेयर इस हेतु आवश्यकता की मान से प्रस्तावित रकबा न्यूनतम है।
9		क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हॉ/नही) यदि हॉ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भ चल रहे है।	:	नही।
10		**प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा :–**	**:**	
	1	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	:	जांजगीर – चम्पा वनमंडल के बलौदा एवं सक्ती वनपरिक्षेत्र रकबा 836.436 हेक्टेयर एवं मरवाही वनमंडल के पेंड्रा एवं मरवाही वन परिक्षेत्र रकबा 530.302 हेक्टेयर कुल रकबा 1366.598 हेक्टेयर वनक्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना प्रस्तावित है।
	2	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वनचेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	:	संलग्न है।
	3	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढॉचा आदि।	:	सागौन एवं अन्य योजना संलग्न है।
	4	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।		10 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षरोपण योजना संलग्न है।
	5	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृश्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)		प्रमाण पत्र संलग्न है।
11		जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षक रिर्पोट विशेषतः उपयुक्त कालम 7(11,12) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)		मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
12		**विभाग/जिला प्रोफाईल**		
	1	जिले का भागैलिक क्षेत्र		358301.000 हेक्टेयर
	2	जिले का वनक्षेत्र		124250.500 हेक्टेयर
	3	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।		24 प्रकरण में 3217.640 हेक्टयर
	4	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण		
	(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।		7361.730 हेक्टेयर

	(ख)	वनेत्तर भूमि पर।		निरंक
	5	**तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :–**		
		क. वनभूमि		7361.730 हेक्टेयर क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य किया गया है।
		ख. वनेत्तर भूमि पर		निरंक
13		प्रस्ताव को स्वीकृति करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।		आवेदक मुख्य कार्यपालन अधिकारी एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी. लिमिटेड जिला– रायपुर (छ.ग.) द्वारा दंतेवाड़ा वनमण्डल, अंतर्गत परिक्षेत्र बचेली के वनभूमि में बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप –04 में खनन करने हेतु आरक्षित वन भूमि 670.1770 हेक्टेयर एवं राजस्व वन भूमि 12.0952 कुल रकबा 682. 2722 हेक्टेयर व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है। आवेदक संस्थान द्वारा मांग की गयी वन भूमि में **'गली नाला'** स्थित है जो प्राकृतिक रूप से बारह मासी प्रवाहित होता है। उक्त नाले के दोनों ओर जैव विविधता के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण विलुप्तप्राय प्रजाति ट्री–फर्न विद्यमान है। जिसका संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। आवेदक संस्थान द्वारा उक्त क्षेत्र को व्यपवर्तन प्रस्ताव से अलग किया जाकर नाले के दोनों ओर कुल रकबा 76.496 हेक्टेयर छोड़ते हुये अप्रभावित होना बतलाया गया है। क्षेत्र निरीक्षण में आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत व्यपवर्तित क्षेत्र के मानचित्र के अनुसार यह परिलक्षित हो रहा है कि, खनन क्षेत्र अधिक ऊॅचाई में होने के कारण खनन के दौरान ढीली मिट्टी (Loose Soil) नाले को प्रभावित करेगी और पानी के बहाव को बाधित करेगी। खनन क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र में मिट्टी की गहराई 0.20–0.30 मीटर है जो क्षेत्र में उच्च क्षरण (High Erosion) का स्पष्ट प्रमाण है। ट्री–फर्न क्षेत्र की मिट्टी क्ले लोम (Clay Loam) है, जो कि ट्री–फर्न वनस्पति के लिये बहुत अच्छा है। पानी के जमा होने से क्षेत्र में स्थित ट्री–फर्न एवं जैव विवधिता संरक्षण के अस्तित्व को बचाने में समस्या पैदा होगी। खनन क्षेत्र में **'गली नाला'** में स्थित ट्री–फर्न को खनन कृत्य से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की संभावना होगी। अतः विद्यमान ट्री–फर्न क्षेत्र से कितनी दूरी पर खनन एवं आधारभूत संरचना हेतु स्थल प्रस्तावित किया जाना चाहिए का, भारतीय

				वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून के विशेषज्ञों के दल से अध्ययन कराया जाकर अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित होगा। इसके अतिरिक्त व्यपवर्तन प्रस्ताव में कक्ष कमांक 1826 एवं 1827 में आधारभूत संरचनाओं के तहत् कन्वेयर बेल्ट निर्माण उक्त कक्ष में स्थित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र में प्रस्तावित है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र में कन्वेयर हेतु प्रभावित भूमि के बदले पृथक से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त किया जाना उचित होगा।

(डॉ जाधव सागर रामचन्द्र)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा

दिनांक : 30.05.2023
स्थान : दन्तेवाड़ा